न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—राजकेश मीणा आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः— 52/2022 **धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

प्रार्थीगणः—

हिमताराम पुत्र श्री सुखाराम, जाति मेघवाल, निवासी बेरड़ों का बास, तहसील ओसयां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः—

1. खेमाराम पुत्र श्री चूनाराम,
2. गेपूराम पुत्र श्री हराराम
3. बनाराम पुत्र श्री हराराम
4. भींयाराम पुत्र श्री हराराम
   जातियान मेघवाल, निवासी बोरड़ों का बास,
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
5. श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

निर्णय दिनांक 24/8/22

प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नंबर 312/4 रकबा 0.8094 हैक्टेयर मौजा ग्राम बेरड़ों का बास, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर में आई हुई है। जिसके राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम बतौर खातेदार दर्ज है तथा प्रार्थी का मौके पर शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है।

प्रार्थी के उक्त भूमि के दक्षिणी तरफ कुछ दूरी पर चेराई से भीकमकोर जाने वाली डामर सड़क चलती है उक्त सड़क व प्रार्थी की भूमि के मध्य अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नंबर 312/6 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि मौजा ग्राम बेरड़ों का बास की सरहद में आई हुई है। सड़क से प्रार्थी की भूमि आवागमन हेतु एक रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 312/6 रकबा 0.8094 हैक्टेयर में से होकर प्रार्थी की भूमि तक चलता है। जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए से बी दर्शाया गया है, वहीं से प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करता है। लेकिन राजस्व रेकर्ड व नक्शे में उक्त रास्ता दर्ज नहीं है, इसलिए प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड रहा है तथा यह रास्ता प्रार्थी के लिए नजदीकी व लघुतम एकमात्र रास्ता है इसके अलावा प्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच पारस्परिक सहमति से उक्त रास्ते का निस्तारण नहीं हुआ। इसलिए अप्रार्थीगण की उक्त भूमि में से प्रार्थी को 20 फिट चौडा रास्ता संलग्न नजरी नक्शे अनुसार दिया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है तथा उक्त रास्ते बाबत प्रार्थी नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु पूर्ण रूप से तैयार है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस जारी किए गए अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। भू—अभिलेख निरीक्षण से रिपोर्ट तलब की गई। भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया यह उभरकर सामने आता है कि राजस्व रिकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के आवागमन हेतु दर्ज नहीं है। साथ ही मौके पर कृषि कार्य हेतु आवागमन वास्ते एक बारहमासी रास्ते का अभाव है। भू—अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में अस्थायी रूप से 312/9 में होकर प्रार्थी आवागन

करते हैं। परंतु रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है ना ही स्थायी रास्ता है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस की गई जिसमे पूर्व में प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराया गया। बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा ।

रास्ते की आवश्यकता:–

भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट एवं राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को कृषि कार्य हेतु खसरा नंबर 312/4 में आवागमन करना होता है। अतः नियमित रूप से आवागमन हेतु बेरोकटोक चलने वाले रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है एवं मात्र सुविधा के लिए रास्ता नहीं चाहा गया।

वैकल्पिक रास्ते का अभाव:–

पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अस्थायी तौर से आवागमन हेतु खसरा नंबर 312/9 का इस्तेमाल किया जा रहा है परंतु उसको वैकल्पिक रास्ता नहीं माना जा सकता क्योंकि ना ही ये रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है ना ही पुराने समय से चालु सार्वजनिक रास्ता है। न्यायालय इसे वैकल्पिक रास्ते का अभाव मानता है। अप्रार्थीगण द्वारा भी वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता होने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है।

निकटतम/सुगमतम रास्ता:–

राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि चाहा गया रास्ता निकटतम है एवं इसमें किसी प्रकार की बाधा होने का उल्लेख भू–अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट में नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश:–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरीये नक्शा में दर्शाये गये बिन्दू A से B के अनुसार ग्राम बेरड़ों का बास, तहसील तिंवरी के खसरा नंबर 312/6 में 4.6 मीटर चौडा रास्ता घोषित किया जाता है। रास्ते की लम्बाई A से B तक (79 मीटर) रहेगी तदनुसार कुल प्रभावित रकबा 363.4 वर्ग मीटर होगा। तहसीलदार ओसियां को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण से नियमानुसार डी.एल.सी. का तीन गुणा राशि की गणना कर अप्रार्थीगण को भुगतान करवाया जाकर उपरोक्त वर्णित रास्ते को राजस्व रेकर्ड व लट्ठा ट्रेस में अमल दरामद किया जावे। संबंधित तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

राजकेश मीणा
सहायक कलक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी ओसियां

आदेश आज दिनांक 24/8/22 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

राजकेश मीणा
सहायक कलक्टर एवम्
उपखण्ड अधिकारी ओसियां